संख्या [illegible]/2024-2025 दिनांक 17/09/2024

# सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

## (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण संख्या: R/GHA/07754/2024-2025 पत्रावली संख्या:38301-M दिनांक:1999-2000

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सेन्ट मैरीज एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबिल सोसायटी, कैम्पस सेन्ट मेरीज क्रिश्चयन स्कूल, ए-ब्लॉक, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन-2, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गाजियाबाद, 201005 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 50 दिनांक-19/04/1999 को दिनांक-19/04/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1250 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(RISHABH KUMAR AGRAWAL)
51956BC79825622FF1057D2BDDF1F60578F2F1F0
Date: 17/09/2024 5:11:34 PM, Location: Ghaziabad.

जारी करने का दिनांक-17/09/2024

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है| इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है| इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा|

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु. 10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

90AB 729954

भारत ... सेन्ट मैरीज एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल सोसाइटी

... 2013 38301

गा०बाद

संस्था० स्थापित

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक ...

कार्यालय ...

फर्म्स सोसायटीज ... मेरठ

30-7-13

John Vinay Sleem

SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

John Vinay Sleem
SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

72AA 685001

जनरल ... सेन्ट मेरी एजुकेशन सोसाइटी
बी ब्लाक शालीमार गार्डन एक्स॰ II साहिबाबाद
जिला गाजियाबाद रजि॰ सं. ए.२ 38301

सूची वर्ष 2009-10

John Vijay Sharma
SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ

02.12.0[illegible]

-3-

THE LIST OF THE MEMBERS OF THE SOCIETY FOR THE YEAR 2009-2010

| S.No. | Name of the Members | Address | Designation | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrs.Shobha Sharma D/o Shri P.Andrews | B-14, S-3, Bharat Apartment, Vivek Vihar Phase-1, Delhi-95 | President | Service |
| 2. | Mr.John Vianney Sharma S/o Mr.S.P.Sharma | Campus of St.Mary;s Christian School, B-Block, Shalimar Garden Ext-II, Sahibabad. | Secretary | Service |
| 3 | Mr.Sudhir Paul S/o Shri Paul | Gali No.4, Vishwas Nagar Shahdara, Delhi-32 | Treasurer | Service |
| 4 | Mrs.Elizabeth W/o Mr. Joy George | 63-c, E-Pocket, G.T.B. Enclave, Delhi | Auditor | Service |
| 5. | Mr.Xavier John S/o Mr.J.V.Sharma | Campus of St.Mary;s Christian School, B-Block, Shalimar Garden Ext-II, Sahibabad. | Member | Service |
| 6. | George Kooliath S/o Mr. Mathai Kooliath | St.Joseph's Church 8/54, Church Road, Jwala Nagar, Shahdara ,Delhi-32 | Member | Social & Religious Worker |
| 7. | Mathew Ouseph Kinarukuthiyil S/o Mr. Joseph | Sacred Heart Church, 85, G.T. Road, Choudhary More, Ghaziabad. U.P. | Member | Social & Religious Worker |

उप निबन्धक समितियाँ मेरठ क्षेत्र, मेरठ — सत्यमेव जयते

Chitra Dutta          Shobha Sharma

John Vianney Sharma

R. Bara          George

George

Fr. Mathew Ouseph

सत्य प्रतिलिपि
सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ

John Vianney Sharma
SECRETARY
St. Mary's Educational & Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

# संशोधित नियमावली

1 संस्था का नाम : सेन्ट मेरीज़ एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल सोसाइटी।

2. पता : कैंपस– सेण्ट मेरीज क्रिश्चियन स्कूल, ए- ब्लॉक शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन– दो, साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ० प्र०)।

3. कार्यक्षेत्र : सोसाइटी का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

4. सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग:–

अ– आजीवन सदस्य:–

सोसायटी को नकद अथवा चैक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रूपये 500,000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) देने एवम कार्यकारी समिति द्वारा बहुमत से सदस्यता स्वीकार करने पर आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है।

आ– साधारण सदस्य:–

जो व्यक्ति सोसाइटी के नाम रू. 25000/ (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट देगा, कार्यकारी समिति की सहमति से तीन वर्ष के लिए साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा, किन्तु इन्हें कार्यकारी समिति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

इ– सदस्यता की प्रक्रिया:–

कोई भी स्त्री या पुरूष जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और जन्म से रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म को मानने वाला हो और सोसाइटी के उद्देश्यों में विश्वास रखता हो अपना आवेदन पत्र किसी एक आजीवन सदस्य से प्रस्तावित तथा प्रबन्ध समिति के किसी एक सदस्य द्वारा अनुमोदित हो एवं शपथपूर्वक सोसाइटी के नियमों- उपनियमों को मानने की

कार्यालय उप निबंधक फर्म्स ... मेरठ क्षेत्र, मेरठ
सत्यमेव जयते

Shobha Sharma

Fr. George

सत्य प्रतिलिपि

30-7-13

SECRETARY
St. Mary's Educational & Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

# ज्ञाप स्मृति पत्र

1 सोसायटी का नाम : सेन्ट मेरीज एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल सोसाइटी।

2 पता : कैम्पस-सेण्ट मेरीज क्रिश्चियन स्कूल, ए-ब्लॉक शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन दो, साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ0 प्र0)।

3 संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारतवर्ष।

4 संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित होंगे:

1 जाति, धर्म, समुदाय; सामाजिक स्तर के भेद भाव किये बिना सभी व्यक्तियों की शिक्षा व्यवस्था के लिए विभिन्न स्तरीय स्कूल, कालेजो की स्थापना करना, संचालित करना।

2. निर्धन एवं असमर्थ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृति देने की व्यवस्था करना।

3. महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक तकनीकी सेवा केन्द्र, संस्थाओं की स्थापना करना एवं संचालित करना।

4 सामुदायिक पर्यावरण सुरक्षा ~~जल, वायु, वन और प्राकृतिक संसाधन के पुनर्निर्माण~~ के प्रति जागृति पैदा करना एवं नव जागरण अभियान चलाना। John Vianney Sharma

5 निर्धन एवं प्रतिभावान छात्राओं/बेरोजगार व्यक्तियों में रोजगार मूलक दक्षता उत्पन्न करना तथा उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था तथा दिशा निर्देश प्रदान करना।

6 शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में परिवार कल्याण, चिकित्सा की व्यवस्था तथा एड्स जैसी विभिन्न घातक बीमारियों के प्रति जागृति उत्पन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार के केन्द्रों की स्थापना कर संचालित करना।

7 विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करना तथा राष्ट्र प्रेम एवं शैक्षिक उन्नति के लिए जागृति उत्पन्न करना।

8. पिछड़े क्षेत्रों में निःशुल्क धर्मार्थ चिकित्सा ~~केन्द्रों अस्पताल एवं प्राकृतिक चिकित्सा व योग~~ केन्द्रों की स्थापना करना, संचालित करना। John Vianney Sharma

9 ज्ञानवर्धक पत्रिकाओं, पुस्तकों, शोध कार्य एवं अन्य प्रकार की पाठ्य सामग्री का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन सुनिश्चित कराना।

10. सभी भाषाओं में विभिन्न विषयों पर सेमिनार व्याख्यान माला, विचार गोष्ठियों व प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा संचालन करना।

John Vianney Sharma — Shobha Sharma

George

John Vianney Sharma
SECRETARY
St. Mary's Educational & Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय उप निबन्धक
30-7-13

समाज एवं सोसायटी के हितार्थ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

12 सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बोर्ड/परिषदों/निगम/निकायों में संस्थाओं के लिए सम्बद्धता प्राप्त करना।

13. सोसायटी हित में दान प्राप्त करना, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करना, बैंक तथा अन्य स्रोतो से ऋण लेना, चल तथा अचल सम्पत्ति प्राप्त करना समान उद्देश्य वाली संस्थाओं को सहायता देना।

14. निर्धन तथा अक्षम व्यक्तियों को कानूनी सहायता निःशुल्क प्राप्त कराना।

15. सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न उपसमिति गठित करना।

16. अल्प–संख्यक समुदायों, खासतौर पर ईसाई समुदाय के बच्चों की हर सम्भव मदद करना तथा ईसाई बच्चों के साथ–साथ अन्य जाति, धर्म, भाषा व प्रान्त के बच्चों को भी शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।

17. समाज के अक्षम, विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिक, मन्द बुद्धि लोगों के पुर्नवास हेतु केन्द्रों की स्थापना कर संचालित करना एवं उन्हें यन्त्र, तन्त्र, यान्त्रिक और कृत्रिम अंग, उपकरण आदि की व्यवस्था करना।

18. बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना कर संचालन करना।

19. भारत के ग्रामीण एवं पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में निरक्षरता को दूर करने के लिय प्रौढ शिक्षा एवं साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमों को चलाना।

20. विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास एवं कार्यकारी पुरूषों/महिलाओं के लिए आश्रय स्थल की स्थापना कर संचालन करना।

21. अनाथ व असहाय बच्चों के लिए अनाथाश्रम एवं वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना कर उनके रख–रखाव का प्रबन्धन करना।

22. छात्रों, युवाओं, नवयुवकों/नवयुवतियों को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, खेल प्रशिक्षण केन्द्रों, योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना व खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना।

23. प्राकृतिक व अन्य आपदाओं से निपटने के लिए पीड़ित व्यक्तियों तथा देश की विपत्ति में सेना के जवानों के सहायार्थ कैम्प लगाना, दवाईयों व खून, आवास एवं कपड़ों व भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना और वितरित करना।

John Vinay Sharma — Shobha Sharma

FR. George

30-7-13

SECRETARY
St. Mary's Educational & Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

बाध्यता को मानने को तैयार हो सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। सदस्यता प्राप्ति हेतु सम्बन्धित व्यक्ति प्रार्थना पत्र सहित सदस्यता शुल्क सहित प्रबन्धसमिति के सचिव को देगा। सचिव उक्त को विचारार्थ प्रबन्धसमिति की बैठक में रखेगा, प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यता स्वीकार करने के उपरान्त ही सदस्यता शुल्क खाते में जमा किया जायेगा और सदस्यता अस्वीकार करने पर प्रार्थी के लिखित अनुरोध प्राप्त होने की दशा में प्रकरण साधारण सभा में रखा जायेगा। सदस्यता विषयक प्रकरण पर साधारण सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

5- सदस्य अर्हता
   1- 18 वर्ष से अधिक आयु हो।
   2- सोसाइटी के उद्देश्य तथा संविधान में आस्था रखता हो।
   3- किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो।
   4- पागल या दिवालिया न हो।
   5- सोसाइटी के अधीन संचालित किसी भी विद्यालय, संस्थान/केन्द्रों का वैतनिक/अधिकारी न हो।

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सो० एवं चिट्स
सत्यमेव जयते
मेरठ क्षेत्र, मेरठ

6- सदस्यता की समाप्ति :-
   1- त्याग पत्र दे और उसका त्याग पत्र स्वीकार हो जाये।
   2- विकृत मस्तिष्क अथवा पागल या दिवालिया करार दिया जाये।
   3- न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्डित होने पर।
   4- निर्धारित शुल्क नियत तिथि पर न देने पर।
   5- सोसाइटी विरोधी कार्यो के करने कार्यकारी समिति द्वारा सदस्यता के आयोग्य घोषित किये जाने पर।

7- संस्था के अंग :-
   क- साधारण सभा ।
   ख- कार्यकारी समिति ।

SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

सत्य प्रतिलिपि

सभा :- इसका तात्पर्य सोसाइटी के विभिन्न प्रकार के सदस्यों से है।

समिति :- इसका तात्पर्य सोसाइटी की कार्यकारी समिति या कार्यकारिणी से है।

साधारण सभा :-

1- गठन :- साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

2- बैठकें :- साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी, किन्तु विशेष बैठक अध्यक्ष के निर्देशानुसार एजेण्डा भेजकर कभी भी किसी भी सुविधानुसार स्थान पर बुलाई जा सकती है।

3- सूचना अवधि :-

बैठक की सूचना सदस्यों को डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से सप्ताह पूर्व की जायेगी, विशेष बैठक की सूचना 48 घन्टे पर दी जा सकेगी।

4- गणपूर्ति :- साधारण सभा तथा विशेष बैठक में गणपूर्ति के लिए कुल संख्या के 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, यह उपस्थिति स्वंय अथवा निर्धारित प्रपत्र पर सहमति भेजने पर मानी जा सकेगी। गणपूर्ति न होने की दशा में बैठक स्थगन के पश्चात् 48 घन्टे के भीतर भी बुलाई जा सकती है, किन्तु फिर भी यदि गणपूर्ति न हो तो बैठक सम्पन्न होगी तथा प्रेषित कार्य सूची के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स उ०प्र०
सत्यमेव जयते
मेरठ क्षेत्र, मेरठ

साधारण सभा के कार्य एवं अधिकार :-

1- प्रत्येक 05 वर्ष बाद साधारण सभा द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।

2- साधारण सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष का बजट प्राविधान स्वीकृति किया जायेगा तथा गत वर्ष के आय- व्यय की पुष्टि की जायेगी।

3- आवश्यकता पडने पर सोसाइटी के नियमों में परिवर्तन करना, किन्तु सोसाइटी का नाम एवं उद्देश्य तथा समिति के गठन प्रक्रिया में संशोधन नही होगा।

4- सोसाइटी की उन्नति एवं विकास के कार्यो को स्वीकृत करना तथा हितार्थ सभी कार्य करना।

SECRETARY
St. Mary's Educational & Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn. II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.)

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ ... सहायक
कार्यालय ...
फर्म्स सोसायटीज ...
30-7-13

अनुदान प्राप्त करना तथा मान्य सोसाइटी, सरकारी व गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं और स्वदेशी या विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त करना व लिये गये ऋण के भुगतान का प्रबन्ध करना तथा इस हेतु गिरवी/बन्धक (मोरगेज) रखना।

6- सोसाइटी के अधीन संचालित विद्यालयों, संस्थानों, केन्द्रों के लिए नियम/उपनियम तैयार करना, स्टाफ की नियुक्ति करना। हटाना, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, छात्रों के लिए शुल्क निश्चित करना।

7- सोसाइटी तथा इसके अधीन संचालित विद्यालयों, केन्द्रो, संस्थानों के हित में कानूनी कार्यवाही करना।

8- सोसाइटी के अधीन संचालित विद्यालय, केन्द्र, संस्थानों के लिए मनोनीत संचालन समिति को अपने निर्णय/निर्देश लागू कराने के लिए बाध्य करना। ये प्रबन्धसमिति प्रति उत्तरदायी होगी।

9- सोसाइटी के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जन साधारण पंचायतों, संस्थाओं, सहकारी आवास समितियों एवं सरकार तथा बिल्डर्स से भूमि भवन क्रय करना- बेचना तथा सम्बन्धित उपकरण प्राप्त करना।

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स उ०प्र० सत्यमेव जयते

बैठक/स्थान :- प्रबन्ध समिति की बैठक प्रति 4 माह में एक बार होगी तथा विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी। बैठक सुविधानुसार किसी भी स्थान पर की जा सकती है।

सूचना अवधि :- बैठक की सूचना सदस्यों को डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से सप्ताह पूर्व दी जायेगी, विशेष बैठक की सूचना 48 घन्टे पर दी जा सकेगी।

गणपूर्ति :-

बैठक के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना गणपूर्ति माना जायेगा यह उपस्थित स्वंय अथवा निर्धारित प्रपत्र पर सहमति भेजकर मानी जा सकेगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक 48 घन्टे के भीतर कभी भी बुलाई जा सकेगी तथा उसमें पूर्व जारी कार्य सूची पर विचार किया जायेगा, यदि 1/3 सदस्य उपस्थित न हो तब भी बैठक की कार्यवाही सम्पन्न होगी।

SECRETARY
St. Mary's Educational & Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn. I
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

Shobha Sharma

सत्य प्रतिलिपि

रिक्त स्थान की पूर्ति :-

रिक्त स्थान की पूर्ति कार्यकारी समिति द्वारा साधारण सभा के सदस्यों से शेष अवधि के लिए की जायेगी।

गठन :- साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धसमिति का गठन होगा। जिसमें 04 पदाधिकारी एवं 3 सदस्य होंगें। जो निम्न है :

1- अध्यक्ष, 2- सचिव, 3- कोषाध्यक्ष, 4- सम्प्रेक्षक एवं तीन सदस्य।

8- कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार/कर्तव्य :-

क- अध्यक्ष :-

अ- साधारण सभा एवं प्रबन्ध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगें।

आ- आवश्यकता पडने पर सोसायटी विद्यालय, संस्थान, केन्द्रो के हित में तत्काल निर्णय लेना।

इ- साधारण सभा तथा प्रबन्धसमित की बैठक बुलाने की अनुमति देना।

ई- अध्यक्षीय व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य सभी कार्य।

उ- बैठक की तिथि को कार्यवश उपस्थित न होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने हेतु व्यक्ति नामित करना।

ऊ- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव पद के दायित्वों का निर्वहन करना।

कार्यालय उप निबन्धक मेरठ क्षेत्र, मेरठ
सत्यमेव जयते

सचिव :-

अ- साधारण सभा तथा प्रबन्धसमिति की बैठक के लिए अध्यक्ष की अनुमति से एजेण्डा जारी करना तथा इसके अधीन संचालित विद्यालयों, केन्द्रो आदि की बैठकों का कार्यवृत्त पंजिका पर कार्यवाही अंकित करना।

आ- सोसाइटी के लिए कोषाध्यक्ष के माध्यम से आय- व्यय प्रस्तुत करना तथा गत वर्ष के लेखा- जोखा का विवरण प्रस्तुत करना। बजट प्रस्तुत करना एवं बजट में की गई व्यवस्था के भीतर वित्त का प्रशासन एवं नियन्त्रण करना।

SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

30-7-13

इ- किसी भी न्यायालय विवाद में सोसाइटी की तरफ से प्रतिवाद करना। सोसाइटी से सम्बन्धित मामलों में सोसाइटी प्रबन्ध समिति तथा संचालित संस्थाओं का समस्त कानूनी कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करना तथा इन कार्यवाहियो अथवा मामलों में उनकी ओर से अभिकथनों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें स्थापित करना।

ई- विद्यालयों, संस्थानों, केन्द्रो के संचालन के लिए मनोनीत प्रबन्ध समिति के कार्यो की देख- रेख करना तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराकर प्रन्धसमिति के सम्मुख प्रस्तुत करना।

उ- सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु समस्त प्रकार के दान, चन्दा, अनुदान, सहायता प्राप्त कर यथाविधि रसीद देना।

ऊ- सोसाइटी के विधान एवं एक्ट के अधीन रहते हुए सोसाइटी की समस्त चल अचल सम्पत्तियों तथा धनराशियों को सुरक्षित, अभिरक्षा तथा उनके विनियोजन का प्रबन्ध करना तथा वह ऐसी समस्त सम्पत्तियों एवं धन के प्रबन्ध व प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

ऋ- सोसाइटी के सम्बन्धित समस्त अनुबन्धों तथा चल- अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित हस्तान्तरण तथा संविदों के समस्त विलेखों- अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।

ए- अंकन पांच लाख रूपये तक के बिल व खर्चो को स्वीकृत कर भुगतान करना।

ऐ- सोसाइटी तथा सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन, वेतन वृद्धियों, वेतन कटौतियों तथा देय अन्य धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना और

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स ... मेरठ क्षेत्र, मेरठ
सत्यमेव जयते

SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

सत्य प्रतिलिपि

30-1-13

प्राधिकृत व्यय में से अन्य संस्थाओं तथा सामग्रीयों के लिए भुगतान स्वीकृत करना।

ओ— सोसाइटी के संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों की छुट्टियां स्वीकृत करना, जांच करना, या जांच अधिकारी नियुक्त करना तथा प्रबन्धसमिति का अन्तिम आदेश होने तक के लिए विनियमों के अनुसार निलम्बित करना।

औ— सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थाओं के बैंक खातों का परिचालन सचिव के हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

अं— सोसाइटी के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिय उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार प्रतिमाह मानदेय प्राप्त कर सकता है।

अः— प्रबन्ध समिति के विवादास्पद परिस्थितियों में समान मत होने की स्थिति अपने मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत देना। ~~सोसाइटी तथा संस्थाओं में विवादास्पद स्थिति आती है तो सचिव का निर्णय ही अन्तिम माना जावेगा।~~ John Vinay Sharma

क— सोसाइटी तथा इसके अधीन संचालित संस्थाओं इत्यादि के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करना एवं भुगतान करना। चल—अचल सम्पत्ति को क्रय करना तथा विक्रय करना एवं ऋण लेने के लिए प्रपत्रों एवं सम्पत्ति क्रय—विक्रय विलेखों पर हस्ताक्षर करना तथा आवश्यकता पड़ने पर सोसाइटी की सम्पत्ति को बैंक या वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखना, मोर्टगेज करना व बंधक पर रखना आदि।

ख— सोसाइटी के अधीन संचालित संस्थाओं के स्टॉफ की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन करना।

ग— ऐसे समस्त कार्य जो यथाविधि एक्ट ऑफ नियमावली के अन्तर्गत सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आरोपित किये जायें, करना।

John Vinay Sharma — Shobha Sharma

[signature]

[signature] George

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक ... कार्यालय ... 30-1-13

John Vinay Sharma
SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

कार्यालय उप निबन्धक, मेरठ क्षेत्र, मेरठ — सत्यमेव जयते

ग- कोषाध्यक्ष :- अ- सोसाइटी का वार्षिक बजट तैयार करना, गत वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करना।

आ- सोसाइटी के अधीन संचालित विभिन्न संस्थानों का वार्षिक लेखा- जोखा तैयार कराकर कार्यकारी समिति की बैठक में पारित कराने हेतु प्रस्तुत करना। गत वर्ष के आय- व्यय को पास कराना।

इ- सोसाइटी के अधीन संचालित संस्थानों आदि के लिए दान प्राप्त करना, सहायता प्राप्त करना, अनुदान लेना।

ई- सोसाइटी के अधीन संचालित किसी भी विद्यालय केन्द्र आदि के 5000/- से अधिक के बिल भुगतान की अनुमति देना (दान में प्राप्त धनराशि को छोडकर)।

ग- सम्प्रेक्षक :- अ- प्रत्येक वर्ष के आय- व्यय की जांच कर कार्यकारी समिति के सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आगामी वर्षो के लिए बजट तैयार करना। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट कराना।

आ- सोसाइटी के अधीन संचालित संस्थानों आदि के लेखों की जांच करना। रिपोर्ट कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करना एवं आगामी वर्ष हेतु बजट तैयार कराना। गत वर्ष के आय व्यय का आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराना।

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ क्षेत्र, मेरठ — सत्यमेव जयते

नियमों में संशोधन की प्रक्रिया :-

सोसायटी के नियमो में संशोधन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

9- सोसाइटी का कोष :-

सोसाइटी कोष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में खाते खोले जायेगें। इन खातों का संचालन सचिव के हस्ताक्षरों किया जायेगा।

सोसाइटी कोष के निम्न श्रोत होगें :-

सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान, सहायता, बैंकों से ऋण शुल्काय आदि।

30·7·13

Shobha Sharma

SECRETARY
St. Mary's Educational & Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

10- आडिट :-

सोसाइटी अभिलेखों का आडिट प्रत्येक वर्ष सम्प्रेक्षक द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जायेगा।

11- कानूनी कार्यवाही :-

संस्था के विरूद्ध किसी भी कार्यवाही के लिए न्याय क्षेत्र गाजियाबाद जनपद मुख्यालय होगा। संस्था की तरफ से कानूनी कार्यवाही सचिव या कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा।

12- सोसाइटी के अभिलेख :-

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका, स्टाक रजिस्टर, चल- अचल सम्पत्ति रजिस्टर एवं विलेख पत्र, कैश बुक, लेजर, रसीद बुक आदि।

13- सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई नई दिल्ली से विद्यालयों की सम्बद्धता हेतु उ0प्र0 शासन के प्रतिबन्ध :-

क- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख- विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रचलित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल, सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से मान्यता और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

30-7-13

SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

ङ- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुदान वेतनमानों तथा भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

छ- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

ज- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंत्रिकाओं में रखा जायेगा।

झ- उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों में बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन संशोधन नही किया जायेगा।

14-

सोसाईटी के विघटन और विच्छेदित सम्पत्ति के वितरण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21,1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक :-

<u>सत्यप्रतिलिपि।</u>

John Vinay Sharma

Shobha Sharma

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक / ...

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स, मेरठ

30-7-13

John Vinay Sharma

SECRETARY
St. Mary's Educational & Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

फाईल सं0 38301 (M)
संस्था का नाम ~~सेन्ट मैरीज एजु0 एवं~~ चै0 सो0
1. ...
2. नियमावली ~~संशो0~~ Rinaraval
आज दिनांक ...
को सन 1860 ...
निबन्धित की गई

John Vianney Shaw
SECRETARY
St. Mary's Educational &
Charitable Society (Regd.)
A-Block, Shalimar Garden Extn.-II
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005